भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3897
मंगलवार, 12 अगस्त, 2025/21 श्रावण,1947 (शक) को उत्तरार्थ

दीर्घावधि कृषक पूँजी सहकार योजना

3897. श्री अनिल बलूनीः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) एनसीडीसी 'दीर्घावधि कृषक पूँजी सहकार योजना' के अंतर्गत कृषि ऋण सहकारी समितियों द्वारा संभावित ऋण चूक के जोखिम का समाधान किस प्रकार करता है;
(ख) ऐसे जोखिमों को कम करने के लिए उपलब्ध आकस्मिक योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और
(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) और (ख): राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) जो सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक सांविधिक संगठन है, एनसीडीसी के क्षेत्राधिकार के अधीन कार्यकलापों/वस्तुओं/सेवाओं के लिए आगे दीर्घकालिक ऋण/अग्रिम देने हेतु कृषि क्रेडिट समितियों को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करने की 'दीर्घावधि कृषक पूंजी सहकार योजना' कार्यान्वित करता है ।

यथानिर्धारित पर्याप्त प्रतिभूति के विरुद्ध व्यवहार्य परियोजना के लिए पात्र उधारकर्ताओं को वित्तीय सहायता स्वीकृत करने के लिए एनसीडीसी में अपने मजबूत वित्तपोषण दिशानिर्देश हैं । प्रत्यक्ष वित्तपोषण दिशानिर्देशों में यथाविनिर्दिष्ट परियोजना आकलन और निगरानी के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित है जिसमें परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता और तकनीकी साध्यता पर कड़ाई से निर्णय लिया जाता है ।

प्रत्येक प्रस्ताव को निम्नलिखित मानदंडों पर आधारित समग्र मूल्यांकन किया जाता है:

(क) IRR, NPV, DSCR, ब्याज कवरेज अनुपात, FACR, प्रक्षेपित नकद-प्रवाहों, आदि जैसे विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से परियोजना की तकनीकी साध्यता और वित्तीय व्यवहार्यता,
(ख) सहकारी समिति की वित्तीय मजबूती,
(ग) सहकारी समिति का पूर्व वित्तीय और प्रचालनात्मक प्रदर्शन,
(घ) सहकारी समिति के प्रबंधन/कार्मिकों की पेशेवर विशेषज्ञता,

(ङ) समान परियोजनाओं में कार्य करने में सहकारी समिति के प्रबंधन का अनुभव,
(च) सहकारी समिति की पूर्व ऋण चुकौती प्रदर्शन,
(छ) सहकारी समिति की परियोजा लागत में अपना हिस्सा जुटाने की क्षमता,
(ज) एनसीडीसी से मांगे गए ऋणों के लिए पर्याप्त प्रतिभूति की उपलब्धता

इससे परियोजना के तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता का सख्त आकलन और उधारकर्ता सहकारी समिति की विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी जिससे सहकारी क्षेत्र के एकीकृत विकास के लिए एनसीडीसी के अधिदेश के साथ संरेखित विवेकपूर्ण वित्तपोषण सुनिश्चित होगा ।

इसके अलावा, एनसीडीसी अपने मुख्यालय, 19 क्षेत्रीय कार्यालयों और 9 उप-कार्यालयों के माध्यम से परियोजनाओं की सक्रिय रूप से समय-समय पर (या आवश्यकतानुसार) निगरानी करता है और निधियों का न्यायपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करता है । इच्छित उद्देश्यों के लिए ऋण संवितरण की उचित निगरानी के लिए त्रैमासिक आधार पर क्षेत्र के दौरे/निरीक्षण किए जाते हैं । लाभार्थी सहकारी समितियों से यह भी अपेक्षित होता है कि वे आवधिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें जिससे यह सुनिश्चित होगा कि निधि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा रहा है जिसके लिए वे लिए गए थे ।

एनसीडीसी में वसूली के लिए एक समर्पित विभाग है । वसूली के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया भली-भांति प्रलेखित है । चुकौती शिड्यूल के अनुसार नोटिसें निर्धारित समय से पहले भेजी जाती हैं और समयबद्ध अनुस्मारक भी भेजे जाते हैं । चूक की दशा में SARFAESI अधिनियम के अधीन उपयुक्त कार्रवाई आरंभ की जाती है और आवश्यकता पड़ने पर DRT में मुकदमा दायर किया जाता हैं ।

(ग) दीर्घावधि कृषक पूंजी सहकार योजना के अधीन एनसीडीसी द्वारा विगत 3 वर्षों में संवितरित ऋणों का ब्योरा निम्नानुसार है: -

(करोड़ रुपये)

वित्तीय वर्ष	**स्वीकृत**	**जारी**
2022-23	400.00	0.00
2023-24	0.00	60.00
2024-25	5000.00	2077.00
कुल योग	5400.00	2137.00

*****